

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़  
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

फिलो-0 - 047/2025  
अनवान :-

- 1 शांति पत्नी स्व० रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 9 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
यनाम
  - 1 इन्द्रजीत उर्फ राजेन्द्र पुत्र स्व० रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 9 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
हाल आबाद रीक्टर न. 03 हनुमानगढ़ टाउन त० व जिला हनुमानगढ़।
  - 2 बलदेव पुत्र स्व० रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 9 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
  - 3 बिनोद कुमार पुत्र स्व० रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 9 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
  - 4 विश्वामित्र पुत्र स्व० रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी चक 9 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
  - 5 राय साहब पुत्र स्व० रामप्रताप जाति बिश्नोई निवासी 9 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
  - 6 पूनम पुत्री शिवकुमार पत्नी अखिलेश बिश्नोई जाति बिश्नोई निवासी 65 एलएनपी त० पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
  - 7 प्रीतीबाला पुत्री स्व० शिवकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 9 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
  - 8 यमन बिश्नोई पुत्र स्व० शिवकुमार जाति बिश्नोई निवासी चक 9 केएसपी त० टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- राजबाला उर्फ रड़बाला पुत्री स्व० रामप्रताप पत्नी हनुमान जाति बिश्नोई निवासी तरमाला त० व जिला मुक्तसर साहिब पंजाब।

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष अधिवक्ता वादी प्रतिवादीगण  
जोईया व सुखवीर सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में प्रस्तुत होने पर वाद वादी  
डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नं० 9 केएसपी के प०न० 166/299 मु० 10  
किलानं० 24, 25/1/0.228 नहरी, 25/2/0.0250 गै०मु० रास्ता, प०न० 166/300 मु०  
18 किलानं० 4/1/0.2280 अनकमाण्ड, 4/2/0.0250 है० गै०मु० रास्ता, 7,14,  
15/1/0.2280 अनकमाण्ड, 15/2/0.0250 है० गै०मु० रास्ता, 16/1/0.2280  
अनकमाण्ड, 16/2/0.0250 गै०मु० रास्ता, 25/1/0.2280 अनकमाण्ड, 25/2/ 0.0250  
गै०मु० रास्ता, प०न० 167/300 मु० 17 किलानं० 20,21, प०न० 167/301 मुं० 22 किला  
नं० 1,10 कुल 3.036 हैक्टेयर मय गै०मु० आराजी में रामप्रताप के नाम से दर्ज आराजी  
की 6/8 हिस्सा की वादीया शांति एवं 1/8 हिस्सा का प्रतिवादी सं० 2 बलदेव व  
प्रतिवादीगण सं० 6 ता 8 को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार  
घोषित किया जाता है इसी अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि में से रामप्रताप का नाम कलमजान  
किया जावें। यदि कृषि भूमि पर बैंक रहन व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न  
हो तो राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर रिकोर्ड दुरुस्त किया जावें। खर्चा उभयपक्ष  
अपना-अपना वहन करें।

आज यह पर्चा डिक्री दिनांक 17/3/24 मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण) ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ़